# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

**(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)**

**विकास पथ, गाजियाबाद**

## सार्वजनिक सूचना

गाजियाबाद के संभ्रांत नागरिकगण एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में विनम्रतापूर्वक यह तथ्य लाना है कि मधुबन बापूधाम योजना प्राधिकरण की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना थी, जो वर्ष 2004-05 में प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत ग्राम सदरपुर, नंगलापाठ, रसूलपुर याकूतपुर महीउद्दीनपुर मैनापुर एवं मोरटा की भूमि का अधिग्रहण कराया गया है। अधिग्रहण उपरान्त प्रतिकर की दरों को लेकर प्रभावित किसानों/काश्तकारों द्वारा समुचित मुआवजा दिये जाने की मांग रखे जाने पर जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा सभी पक्षों को सुनने के उपरान्त उपरोक्त ग्रामों में प्रतिकर की दर परस्पर सहमति के आधार पर रू० 1100/- प्रति वर्गमीटर की दर, जोकि तत्समय नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण आवास एवं विकास परिषद एवं यमुना एक्सप्रेस विकास प्राधिकरण में निर्धारित प्रतिकरों की दर से काफी अधिक थी निर्धारित की गयी थी और इस पर किसानों द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। योजना के लिये अर्जित की गयी 1234 एकड़ भूमि में से लगभग 800 एकड़ भूमि के किसानों द्वारा तत्समय लिखित सहमति देते हुए प्रतिकर प्राप्त कर लिया गया था एवं राजस्व अभिलेखों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का नाम भी दर्ज हो गया। कतिपय कृषकों द्वारा सहमति न देते हुए 76 विशेष अनुमति याचिका (अपील) योजित की गयी, जिनमें लगभग 281 एकड़ भूमि सम्मिलित थी, जो अन्तत मा० उच्चतम न्यायालय से निर्णित हुई और जिनमें मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा इन 76 अपीलों में निहित कृषकों को नए भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर के आदेश प्रादन किये गये है किन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया कि 76 विशेष अनुमति याचिका के कृषकों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कृषक पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश की भली–भाँति जानकारी होने के बावजूद भी कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा संबंधित ग्राम के कृषकों को प्रतिकर बढ़ाये जाने संबंधी झूठे आश्वासन देकर उनसे विभिन्न प्रकार के ज्ञापन, प्रदर्शन, विकास कार्य में अवरोध इत्यादि कराये जा रहें है। जबकि यह सर्वविदित है कि मा० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुमति याचिकाओं में सम्मिलित कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों के प्रतिकर में वृद्धि किसी भी प्रकार सभव नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि ऐसे अवांछनीय तत्वों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं उनकी भावनाओं के विपरीत आचरण किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।

अतः इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से समस्त सम्मानित कृषकों एवं संभ्रांत नागरिकगण से अनुरोध है कि वे ऐसे अवांछित तत्वों द्वारा फैलाये जा रहे भ्रम एवं आश्वासनों में ना आए और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में योजना के निर्माण एवं विकास कार्यों में किसी भी प्रकार अवरोध एवं प्रतिरोध न करें।

**विशेष कार्याधिकारी/**

**प्रभारी भू अर्जन**

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, @gdagzb : gdagzb

हेल्पलाईन नं: 0120-3342433, व्हाट्सएप : 9818988807 वेबसाईट : www.gdaghaziabad.com

**एक सुन्दर शहर ..... हमारा संकल्प**